राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 74 / 2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2023 / 215
दायर दिनांक— 27.12.2023
निर्णय दिनांक— 22.11.2024
उनवानी—

1. सज्जन सिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़ हाल निवासी मंझेला रोड़ किशनगढ जिला अजमेर

......प्रार्थी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़
2. गोपालसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत नि0 ग्रम तित्यारी हाल नि0 बजरंग कॉलोनी किशनगढ़ जिला अजमेर
3. जगदीश सिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम तित्यारी तह0 रूपनगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
5. उप पंजीयक रूपनगढ़

.......अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:

1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम तित्यारी पटवार हल्का पींगलोद भू0अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खाता संख्या 47 के ख0न0 153 रकबा 4.6679 है0 जिसमें प्रार्थी का हिस्सा जमाबन्दी अनुसार 1/4 है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम कब्जे काश्त एवं संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी मौखिक बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज काश्त करता है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी प्रकार से कोई हक व हिस्सा या दखल नहीं है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि पर कुआं भी खुदा हुआ है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 तक ब्लात, कब्जा, अतिकमण कर हैरान परेशान कर रहे है और बार—बार विवाद उत्पन्न ... काश्त में बाधाकारित कर रहे है।जिसके कारण प्रार्थी को परेशानी उत्पन्न हो रही है। ... खेत में फसलों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पानी पिलाने के लिये अपने निजी खर्च से कुआं खुदवा रखा है तथा कृषि भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, गुडाई जोत करने व बाड़ लगाने, खन्दक लगाने कांटे लगाने तथा पत्थर के कतावले लगा कर सीमा चिन्ह बनाने तथा मौके पर तारबंदी करने में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा रूकावट एवं बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिये माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना जरूरी हुआ है। अप्रार्थी संख्या 4 भूमिधारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 5 उप पंजीयक रूपनगढ़ होने के कारण पक्षकार बनाया गया है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़(अप्रार्थी 4) की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब पेश नहीं होने पर उनका जवाब बंद किया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थी के कब्जे काश्त व अन्य कार्यो में बाधाकारित नही करने हेतु तावाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन, अवलोकन किया गया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से में दर्ज कृषि आराजी के उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा बाधाकारित/व्यवधान उत्पन्न करने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में स्पष्ट होता है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कम में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि के उपयोग–उपभोग एवं किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक पावन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

महिमा कसाना (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 13:58:28 IST
Reason: SelfAttested